

प्रेस नोट

दिनांक 29.10.2020

सराहनीय कार्य थाना गौरीगंज जनपद अमेठी

हत्या का खुलासा, मृतक के साइकिल व सिमकार्ड के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार थाना गौरीगंज मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त चन्द्रकेश पुत्र राम सुमेर सरोज नि० पूरे बाछिल थाना गौरीगंज को जामो तिराहा से समय करीब 09:05 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से मृतक रमेश कोरी का साइकिल, सिमकार्ड व रूपये 300/ नगद बरामद हुआ । अभियुक्त चन्द्रकेश ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 24.10.2020 को मैं और रमेश कोरी (मृतक) ने एक साथ शराब पी तथा बाबूगंज स्थित पप्पू गुप्ता की दुकान पर देर रात तक लाई चन खाते रहे व आपस में गाली गलौज करते रहे, फिर मैं रमेश को लेकर दौलतपुर के रास्ते पर चला गया तथा स्कूल के पास सूनसान जगह पर दोनो ने फिर शराब पी, वहीं झगड़ा होने पर मैंने रमेश के सर व जबड़े पर ईंट से वार कर दिया जिससे रमेश की मृत्यु हो गयी । तब मैंने उसके शव को नहर में फेंक दिया तथा उसके सिम कार्ड, साइकिल व रूपये 300/ लेकर चला गया । थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी स्थान- जामो तिराहा

दिनांक- 29.10.2020

समय- 09:05 बजे प्रातः

नाम मृतक - रमेश कुमार पुत्र रामनाथ नि० ग्राम दौलतपुर मजरे ऐंधी थाना गौरीगंज ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री केश कुमार पुत्र रामनाथ कोरी नि० सराय सुखमंगल थाना नसीराबद जनपद रायबरेली द्वारा दिनांक 25.10.2020 को थाना गौरीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक मेरे भाई रमेश कुमार पुत्र रामनाथ (मृतक) अपनी ससुराल ग्राम दौलतपुर मजरे ऐंधी थाना गौरीगंज में अपने परिवार के साथ रहते थे, जो दिनांक 24.10.2020 को घर से दिहाड़ी मजदूरी करने गये थे रात्रि में काफी देर तक घर नहीं आये, फोन से संपर्क किया गया तो स्विचआफ था । दिनांक 25.10.2020 को सुबह 07:00 बजे पता चला कि रमेश का शव ग्राम दौलतपुर के पास नहर में पड़ी है । जिस संबन्ध में थाना गौरीगंज पर मु०अ०सं० 505/20 धारा 302,201,34 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- चन्द्रकेश पुत्र राम सुमेर सरोज नि० पूरे बाछिल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

बरामदगी:-

- मृतक रमेश कोरी का साइकिल, सिमकार्ड व रूपये 300 नगद ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 505/20 धारा 302,201,34 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० अरूण कुमार द्विवेदी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० संदीप कुमार राय थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० नन्दराम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. उ०नि० लक्ष्मीकान्त सोनकर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
5. हे०का० विजय सिंह थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
6. का० प्रदीप मिश्रा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
7. का० चंकी सागर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
8. का० विपिन प्रकाश थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।